

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 362387 /

पटना, दिनांक 27/03/2018

ग्रा0वि0-6/अभि0-01-08/2016

प्रेषक,

संजय कुमार सिंह,  
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त,  
बिहार ।

विषय:- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के नियमित कर्मियों को पष्टम पुनरीक्षित वेतनमान के लाभ की स्वीकृति के संबंध में शुद्धि पत्र ।


महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक-09 दिनांक-23.10.2017 के द्वितीय कंडिका की उप कंडिका-2 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

"दिनांक-01.01.2006 से समूह 'घ' के नियमित कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण के क्रम में विहित प्रक्रियानुसार PB1+ग्रेड वेतन 1800 में वेतन निर्धारण के उपरान्त तीन अतिरिक्त वेतनवृद्धियाँ उसी तिथि को दी जाएगी । परन्तु यह दिनांक-01.01.2006 के बाद की नई नियुक्तियों के मामलों में लागू नहीं होगा । तदनुसार दिनांक-01.01.2006 से निर्धारित वेतन का आर्थिक लाभ दिनांक-01.04.2007 से देय होगा ।"

2. शेष यथावत् रहेगा ।

विश्वासभाजन




(संजय कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक 362387 /

पटना, दिनांक 27/03/2018

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित ।



सरकार के संयुक्त सचिव